

कार्यालय:- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां

जिला बारां(राज0)

क्रमांक: 529

दिनांक: 07.05.21

- प्रेषित:- 1. श्रीमान् न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय, बारां
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो प्रकरण न्यायालय क्रम-1 बारां/क्रम-2 बारां
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 बारां/क्रम-2 बारां/छबड़ा, अटरू
4. श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां
5. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश(एसस/एसटी कैसेज) बारां
6. अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांगरोल/शाहाबाद/छीपाबडोद/अटरू/छबड़ा
8. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां
9. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां/किशनगंज/अटरू/अन्ता
10. अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
11. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अटरू
12. प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय बारां
13. रीडर, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
14. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बारां को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु
15. अध्यक्ष महोदय, अभिभाषक परिषद, बारां(राज0)

-----00-----

**विषय:- 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का कोविड-19 का प्रथम/द्वितीय चरण का टीकाकरण करवाए जाने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर व श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां के निर्देशानुसार बारां न्याय क्षेत्र अवस्थित समस्त न्यायालयों (बारां मुख्यालय व तालुका मुख्यालय) के न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण व अधिवक्तागण के क्लर्क तथा इन सभी के परिजन, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उनका कोविड-19 का प्रथम/द्वितीय चरण का टीकाकरण करवाया जाना है।

अतः आप उक्त टीकाकरण करवाए जाने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में संबंधित सूचना दिनांक 11.05.2021 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें।

संलग्न:-प्रोफार्मा

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां  
जिला बारां(राज0)

